न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/सिलिंग/6369/2005/बून्दी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बून्दी।

----अपीलांट

बनाम

गोपाललाल पुत्र श्री भंवरलाल (मृतक) जरिये वारिसान –
1– जमनाशंकर पुत्र श्री गोपाललाल,
2– रतनबाई पुत्री गोपाललाल सभी जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरिया कलां तहसील व जिला बून्दी।

------ रेस्पोडेन्ट

एकलपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी,सदस्य

उपस्थितः–
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना, उप राजकीय अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
श्रीमती ज्योति पारीक, अधिवक्ता रैस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 18–03–2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 23(2–ए) राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी द्वारा प्रकरण सं060/सी/83 शीर्षक **''सरकार बनाम गोपाललाल''** में पारित निर्णय दिनांक 12–07–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार रेस्पो0 के पिता/पति गोपाललाल के विरूद्ध पुराने सीलिंग अधिनियम जिसके अध्याय 3 (ख) के तहत सीलिंग कार्यवाही सहायक कलक्टर (सीलिंग) बून्दी द्वारा प्रारम्भ करते हुए सीलिंग प्रकरण दर्ज किया गया तथा उक्त सीलिंग कार्यवाही में सहायक कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 31–12–1971 के द्वारा खातेदार गोपाललाल के पास सीलिंग सीमा से 16 बीघा 6 बिस्वा अधिक भूमि होना मानते हुए सीलिंग कार्यवाही को समाप्त करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश सहायक कलक्टर (सीलिंग) बून्दी दिनांक 31–12–1971 के विरूद्ध रेस्पो0 ने एक अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21–6–1974 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की गयी जिसके विरूद्ध निगरानी मण्डल में प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 4–8–1976 के द्वारा निर्णित की गयी तथा निर्णय अनुसार

खातेदार गोपाललाल के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना माना गया। राजस्थान सरकार की जानकारी में उक्त प्रकरण लाये जाने पर धारा 15 (2) राजस्थान सीलिंग अधिनियम, 1973 के तहत उक्त प्रकरण को वापिस खोला जाकर प्रकरण जिला कलक्टर, बून्दी के यहां भेजा गया जिन्होंने उक्त प्रकरण राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुनः निर्णय हेतु विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), बून्दी के यहां भिजवाया गया जिन्होंने प्रकरण दर्ज कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। उन्होंने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 12-7-2004 के द्वारा यह माना गया कि भूमिधारी गोपाललाल के पास निर्धारित तिथि 1-4-1966 को 76 बीघा 6 बिस्वा भूमि थी एवं भूमि के वर्गीकरण के आधार पर उसके पास 29-18 स्टे0 एकड़ भूमि बनती है जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गयी 30 स्टे0 एकड़ से कम भूमि है जिससे उसके पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होना मानकर सीलिंग प्रकरण को समाप्त करने का निर्णय दिनांक 12-7-2004 को पारित कर दिया जिस निर्णय से व्यथित होकर राज्य सरकार/अपीलांट की ओर से यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3- योग्य अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4- योग्य अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विद्वान अतिरिक्त कलक्टर का निर्णय दिनांक 12-7-2004 न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अतिरिक्त कलक्टर ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि ग्राम ठीकरिया कलां में स्थित उक्त भूमि को राज्य सरकार के द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक एफ-6/406/रेवे/ए/बी/157 दिनांक अक्टूबर 1957 से कमाण्ड भूमि धोषित कर दिया था। इस कारण निर्धारित तिथि 1-4-1966 को उक्त भूमि कमाण्ड क्षेत्र में होने के कारण सीलिंग सीमा की गणना कमाण्ड क्षेत्र को मध्यनजर रखकर करनी चाहिए थी किन्तु विद्वान अतिरिक्त कलक्टर ने निर्धारित तिथि 1-4-1966 को जमाबन्दी की किस्म के अनुसार भूमि की गणना कर आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अतिरिक्त कलक्टर ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि राजस्व (ग्रप-2) विभाग राजस्थान जयपुर ने अपने आदेश क्रमांक 8(15)राजस्व/ ग्रुप-8/जयपुर दिनांक 19-1-2005 में यही व्यक्त किया है कि विवादित भूमि ग्राम ठीकरिया कलां में स्थित है जो कि उक्त ग्राम चम्बल कमाण्ड खेत्र में आता है। इस कारण उक्त भूमि की सीलिंग सीमा की गणना कमाण्ड क्षेत्र के आधार पर करनी चाहिए थी किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कर रेस्पो0 के पास भूमि की

किस्म के आधार पर सीलिंग सीमा की गणना करते हुए तथा उनके पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि ही होना मानकर जो आदेश पारित किया है, वह काबिल निरस्त योग्य है। बहस में आगे कथन किया कि विद्वान अति0 कलक्टर ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रूप से विश्लेषण एवं विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) बून्दी का निर्णय दिनांक 12-7-2004 निरस्त किया जावें। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को भी अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

5- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रैस्पोंडेंट ने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (सीलिंग) बून्दी द्वारा जो आदेश दिनांक 12-7-2004 को पारित किया गया है वह विधि अनुकूल तथा विधिक प्रक्रिया के तहत पारित किया गया है। विद्वान अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज की जावें।

6- हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर सुनी व बहस पर मनन किया। भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 व शपथपत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए हम अपील पेश करने में हुई देरी को न्यायहित में क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7- योग्य अधिवक्तागण की ओर से की गयी गुणावगुण बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया गया।

8- अपील का मुख्य आधार यह है कि राजस्व (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने आदेश कमांक 8(15)राजस्व/ग्रुप-8/जयपुर दिनांक 19-1-2005 में यही व्यक्त किया है कि विवादित भूमि ग्राम ठीकरिया कलां में स्थित है जो कि उक्त ग्राम चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में आता है। इस कारण उक्त भूमि की सीलिंग सीमा की गणना कमाण्ड क्षेत्र के आधार पर करनी चाहिए थी किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कर रेस्पो0 के पास भूमि की किस्म के आधार पर सीलिंग सीमा की गणना करते हुए तथा उनके पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि ही होना मानकर जो आदेश पारित किया है, वह काबिल निरस्त योग्य है।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी ने अपने निर्णय दिनांक 12–7–2004 में अंकित किया है कि भूमिधारी के पास निर्धारित दिनांक 01–04–1966 को ग्राम ठीकरिया कलां में 76 बीघा 6 बिस्वा भूमि है जैसाकि जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 से प्रमाणित है। दिनांक 01–04–1966 को भूमि की किस्म के अनुसार भूमिधारी 76 बीघा 6 बिस्वा के स्टेण्डर्ड एकड़ 29–18 की गणना की गई है। उपरोक्तानुसार यह प्रमाणित है कि भूमिधारी के पास 01–04–1966 को 30 स्टे.एकड़ से कम 29–18 स्टे.एकड़ भूमि है तथा वह 30 स्टे. एकड़ भूमिधारण करने का अधिकारी है। अतः भूमि सीलिंग सीमा से कम होने से कार्यवाही ड्रोप की जाती है। अर्थात अति0 जिला कलक्टर द्वारा जमाबन्दी में दर्ज भूमि की किस्म के आधार पर गणना की गई है।

10– राजस्व (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर ने जिला कलक्टर, बून्दी को पत्र क्रमांक प.8(15)राजस्व/ग्रुप–8/जयपुर दिनांक 19–01–2005 में अंकित है कि सीलिंग प्रकरण सं0 60/सी/83 सरकार बनाम गोपाललाल आ. भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरिया कलां का.मु. केशर, जमना, शंकर में दिनांक 12–7–2004 को पारित निर्णय राज्य सरकार के परीक्षणार्थ दिनांक 3–9–2004 को प्रेषित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा प्रकरण परीक्षण उपरान्त उनके पत्र सं0 प.8(15)राजस्व/ग्रुप–8/04 दिनांक 19–1–2005 के द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बून्दी के उक्त निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करने के निर्देश प्रदत्त किये गये हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी का निर्णय राज्य हितों के प्रतिकूल हैः–

(1) पारित निर्णय दिनांक 12–7–2004 में ग्राम ठीकरिया कलां चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में होने के उपरान्त भी कमाण्ड क्षेत्र का नहीं मानकर अपना निर्णय दिया है। राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय में भूमि को चम्बल कमाण्ड क्षेत्र की माना है।

राजस्व विभाग की विज्ञप्ति सं0 एफ.6(406)रेव/ए.वी./157 जयपुर दिनांक अक्टूबर, 1957 में अंकित है कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम 27, 1954) की धारा 2 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट कोटा और बून्दी जिलों के गांवों के लिए तुरन्त प्रभावशील होगा।

अपील/सीलिंग/6369/2005/बून्दी
सरकार बनाम गोपाललाल

11- उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्वान अति0 जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा जमाबन्दी में दर्ज भूमि की किस्म के आधार पर गणना नहीं की जाकर राज्य सरकार की विज्ञप्ति के आधार पर गणना की जानी चाहिए थी। इसलिए विद्वान अति0 जिला कलक्टर, बून्दी का निर्णय दिनांक 12-07-2004 खारिज योग्य है।
12- फलस्वरुप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-7-2004 खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य